



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18082022-238175
CG-DL-E-18082022-238175

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3684]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 17, 2022/श्रावण 26, 1944

No. 3684]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 17, 2022/SHRAVANA 26, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2022

का. आ. 3858(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, NH-167N के, पेव्ड शोल्डर के साथ दो/चार लेन में उन्नयन हेतु तेलंगाना राज्य के विकाराबाद जिला में, NH-167N के कि.मी 60.255 से कि.मी 102.834 तक के लिए रेवेन्यु डिवीज़नल ऑफिसर, तांदुर को, उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गाँवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-167N "इपीसी मोड के तहत 2/4 लेन के चौड़ीकरण पेव्ड शोल्डर्स के साथ महबूबनगर-चिंचोली सेक्शन पर कि.मी. 60.255 से कि.मी. 102.834 तक" पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	रेवेन्यु डिविशनल ऑफिसर, तांदुर (	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	तेलंगाना	विकाराबाद	कोडांगल	1 अप्पैपल्ली

		NH167N के कि.मी. 60.255 से 102.834 तक				2 उदीमेश्वरम
					यलाल	1 अगगानुर
					तांदुर	1 गिणगुरति 2 इनेल्ली

[फा. सं. EE/NH/HYD/DB/D3/LA/M-C road NH167N/2022-23/]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th August, 2022

S. O. 3858(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed hereto as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to State, Districts, Taluk, and Villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule by Revenue Divisional officer, Tandur for Km. 60.255 to Km. 102.834 of NH-167N, for upgradation to 2/4 laning with paved shoulders in VIKARABAD District of NH-167N in the State of TELANGANA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH-167N for the work of "Widening and strengthening to 2/4 lane with Paved Shoulders of Mahabubnagar-Chincholi Section from Km. 60/255 to Km. 102.834 on EPC Mode in the State of Telangana".

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Revenue Divisional officer, Tandur	60.255KM To 102.834KM	TELANGANA	VIKARABAD	Kodangal	1 Appaipally 2 Udimeshwaram
					Yalal	1 Agganur
					Tandur	1 Gingurthy 2 Inelly

[F. No. EE/NH/HYD/DB/D3/LA/M-C road NH167N/2022-23/]

RAJESH GUPTA, Director